

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	शल्य चिकित्सा कराने हेतु अधिकतम रू0 10000/– की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है परन्तु कॉक्लियर इम्प्लाण्ट सर्जरी के लिये अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 600000/– प्रति लाभार्थी
4.	पात्रता की अर्हता–	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगजन
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	लिंक वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="http://sspy-up.gov.in/">http://sspy-up.gov.in/</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।